240/NIC
31/5/17

झारखण्ड सरकार

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रवंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्या:– 30 / 2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची के पत्र संख्या 04 / आ0 प्र0 (विविध)–17 / 2014–14 (स्वी0) आ0 प्र0 रॉची दिनांक 24 / 04 / 2017 व्दारा मूख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / आश्रितों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से उपायुक्त दुमका को कुल 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतू स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष –101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–04–प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान,–49–आर्थिक सहायता 2245–02–101–04–06–49 विपत्र कोड–39S224502101040649.	15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये मात्र
कुल पन्द्रह हजार रूपये मात्र	15,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 15,000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये मात्र को निम्नलिखित अंचल अधिकारियों को उपआवंटित किया जाता है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	रामगढ़	5,000.00
2	मसलिया	5,000.00
3	जरमुंडी	5,000.00
कुल पन्द्रह हजार रूपये मात्र		15,000.00

(4) यह स्वीकृति विभागिय संकल्प संख्या–604 दिनांक 18 / 05 / 2015 एवं दिनांक–19.03.2015 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित **प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित मामले–सूखा, फसल क्षति, मृत पशुओं के replacement, मत्स्य, Handicrafts/Handloom** एवं आधरभूत संरचना को छोड़कर शेष मामले में अंचल अधिकारी आवंटन प्रदान करने हेतु सक्षम प्रधिकार है।

(5) राशि की निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी सम्वन्धित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(6) सभी भूगतान e-KYC / आधार लिंक खाते में ही किया जाय।

(7). सम्वन्धित अंचालाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों (S.D.R.S मानकों) के अनुरूप किया जा रहा है।

(8). स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्याय निर्धारित मद एवं मापदण्डें के अनुसार उन्हीं मदें में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

(9). (I) इसका ब्यौरा ओनलाइन जिले के वेबसाइट पर रखना चाहिए।
(II) भूगतान घटना के 60 दिन के अंदर अवश्य हेाना चाहिए।

(10). किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं हेाने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण की सूचना 20 मार्च 2018 के पूर्व ऑन –लाईन करने का दायित्व अंचल अधिकारी–तथा–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(11). भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–06 / 2015–NDM-I, दिनांक–06 / 05 / 2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार व्यय का मासिक विवरण विभाग को सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12). (i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी, द्वारा उपयेागिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उपमुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iii). महालेखाकर से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हेागा।

(iv). संबंधित अंचलाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(13). निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हेागी कि यदि ऐसी कोइे येाजना का कार्य के विरूद्ध राशि व्याय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हेा उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्व सूचना सम्वन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

(14). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृड़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17/04/1998 पत्रांक–2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20/03/2015 का पालन अक्षरशः पालन किया जाय।

(ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग व्दारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(ङ) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(17). प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी. शर्तो का अक्षरश : पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/05/2017
प्रतिलिपीः– सभी अंचल अधिकारी, दुमका/कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवष्यक कारबाइ हतू प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/05/2017
प्रतिलिपीः–आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/05/2017
प्रतिलिपीः– सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॅाची, झारखण्ड/ सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॅाची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–................................./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–................/05/2017
प्रतिलिपीः– महालेखाकर रॅाची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांकः–.........119........./आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :–.....25/05/2017
प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका